[2024] 2 एस.सी.आर 713 : 2024 INSC 137

श्रीमती विद्या के. और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 2899-2907/2024)

22 फ़रवरी, 2024

[पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा,* और अरविंद कुमार,जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या कर्नाटक राज्य द्वारा संचालित प्रथम श्रेणी महाविद्यालयों में गृह विज्ञान के 18 व्याख्याताओं के पदों को भरने हेतु जारी अधिसूचना, 'गृह विज्ञान' के अंतर्गत विभिन्न विषयों का पृथक-पृथक विवरण न देने के कारण निरस्त की जा सकती है?

शीर्ष टिप्पणीयाँ

कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (कॉलेजिएट शिक्षा विभाग) (भर्ती) नियम, 1964 तथा कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (कॉलेजिएट शिक्षा विभाग) (विशेष भर्ती) नियम, 1993 – भर्ती – गृह विज्ञान के व्याख्याताओं के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना – प्रतिवादी क्रमांक 8 ने इस आधार पर अधिसूचना को निरस्त करने हेतु अधिकरण का दरवाजा खटखटाया कि उक्त अधिसूचना में गृह विज्ञान के अंतर्गत विशिष्ट विषयों का पृथक-पृथक विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया है – अधिकरण ने इस आधार पर अधिसूचना को निरस्त कर दिया कि रिक्त पदों के विज्ञापन के लिए विषय-वार वर्गीकरण का उल्लेख करना आवश्यक है – उच्च न्यायालय ने अधिकरण के आदेश की पुष्टि की – औचित्य :

अभिनिर्धारित: दिनांक 24.12.2007 की विज्ञप्ति संबंधित नियमों का उल्लेख करती है तथा वास्तव में पात्रता मानदंड, चयन की विधि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि सभी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है – इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि यह भर्ती, अन्य बातों के साथ, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए व्याख्याता के पद हेतु है – वास्तव में, 1993 के नियमों का नियम 3 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रमों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं का प्रावधान करता है –नियमों की स्थिति पर बल देने का उद्देश्य यह इंगित करना है कि नियुक्ति के उपरांत ये व्याख्याता गृह विज्ञान विभाग में स्नातक छात्रों को अध्यापन करेंगे – अतः आवश्यक योग्यता केवल गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि तक सीमित है – जब तक कोई अभ्यर्थी गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री रखता है, वह उक्त पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा – यह महत्व नहीं रखता कि गृह विज्ञान के अंतर्गत किस विशिष्ट विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की गई है –इन पदों पर नियुक्ति 'स्थिति' के स्वरूप की होती है, जिसका अर्थ है कि सेवा तथा उसकी शर्तों में नियमों में संशोधन द्वारा एकतरफा परिवर्तन किया जा सकता है – अधिकरण का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह किसी पक्ष द्वारा किए गए दावों का परीक्षण उस नियम के संदर्भ में करे जो उस क्षेत्र को नियंत्रित करता है – यदि नियम विषय-वार विशेषता का प्रावधान नहीं करता है, तो अधिकरण या उच्च न्यायालय के लिए नियम की औचित्यता अथवा उसके लाभकारी प्रभाव की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है –- अतः उच्च न्यायालय ने यह विचार न करते हुए कि नियम क्या प्रावधान करता है तथा क्या विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप है, त्रुटि की है – यदि उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के मूल सिद्धांतों तक ही सीमित रहता, तो वह इस प्रकार की त्रुटि करने से बच सकता था। (पैरा 8, 9, 10, 12, 17)

न्यायशास्त्र - सेवा न्यायशास्त्र - नियमों का महत्व:

अभिनिर्धारित: सेवा न्यायशास्त्र की शुरुआत और अंत उन नियमों से ही होना चाहिए जो योग्यता, भर्ती, चयन, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। [पैरा 12]

अधिनियमों कि सूची:

कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (कॉलेजिएट शिक्षा विभाग) (भर्ती) नियम, 1964;कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (कॉलेजिएट शिक्षा विभाग) (विशेष भर्ती) नियम, 1993।

प्रमुख शब्दों की सूची

सेवा विधि; भर्ती; व्याख्याता के पद पर नियुक्ति; विषय श्रेणियाँ; नियम का लाभकारी प्रभाव; नियमों के साथ विज्ञापन की संगति।

मामले की उत्पत्ति

नागरिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 2899-2907, वर्ष 2024

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 28.03.2013 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न, जो CMWP सं. 19495, 19496, 19497, 19498, 19499, 19500, 19501, 19502 एवं 19503, वर्ष 2009 में पारित हुआ।

साथ में

सिविल अपील सं. 2936-2954, 2908-2916, 2917-2935 एवं 2955-2963, वर्ष 2024।

अधिवक्तागण

अमन पंवार, ए.ए.जी.; वी. लक्ष्मीनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता; दिनेश कुमार गर्ग; प्रथम नरेंद्रकुमार; धनंजय गर्ग; अभिषेक गर्ग; स्पर्शा शेट्टी; ईशान तिवारी; आर. पी. बंसल; शेखर जी. देवासा; मनीष तिवारी; सुश्री थश्मिथा मुथन्ना; शशि भूषण नागर; विश्वनाथ चतुर्वेदी; एम/एस देवासा एंड कंपनी; जी. वी. चंद्रशेखर; सुश्री अंजना चंद्रशेखर; अनुप जैन; सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय; अर्जुन हरकौली; बिमलेश कुमार सिंह; राजीव कुमार गुप्ता; कंवल चौधरी; सुश्री निहारिका; संतोष कुमार यादव; नीरज अग्रवाल; वी. एन. रघुपाठी; मनेंद्र पाल गुप्ता;

शिवम सिंह बघेल; अनिल जरयाल ठाकुर; के. के. मणि; फटिक चंद्र दास – अधिवक्ता- उपस्थित पक्षकारों के लिए।।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा, जे न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई

2. हमारे विचारार्थ उत्पन्न होने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या कर्नाटक राज्य द्वारा संचालित प्रथम श्रेणी महाविद्यालय में गृह विज्ञान के व्याख्याताओं के 18 पदों को भरने हेतु जारी अधिसूचना, 'विषयों' के अंतर्गत गृह विज्ञान के विभाजन को उल्लेखित न करने के कारण निरस्त की जाने योग्य है।कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण ने इस आधार पर अधिसूचना को निरस्त कर दिया कि रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु विषय श्रेणियों का उल्लेख आवश्यक है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग तथा सफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दी गईं। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

3. भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं विनियमों का परीक्षण करने पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा माना गया यह आवश्यकतात्मक प्रावधान, भर्ती नियमों का अनिवार्य निर्देश नहीं है। इसके अतिरिक्त, अधिकरण और उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष गलत रूप से उन नीतिगत विचारों पर आधारित किए हैं, जो इस प्रकार के विभाजन को अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी मानते हैं।आगे दिए गए कारणों के आधार पर, हमने अपीलों को स्वीकार किया है, उच्च न्यायालय एवं अधिकरण के निर्णयों को निरस्त कर दिया है तथा भर्ती प्रक्रिया को वैध ठहराया है। परिणामस्वरूप, विज्ञापन के आधार पर की गई नियुक्तियों की पुष्टि की जाती है।

4. वर्तमान अपील तक पहुँचने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (जिसे आगे 'केपीएससी' कहा जाएगा) ने दिनांक 24.12.2007 को सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयों में लगभग 2500 व्याख्याताओं के पदों को भरने हेतु एक अधिसूचना जारी की। उक्त पदों में से हम गृह विज्ञान विभाग के 18 पदों की भर्ती से संबंधित हैं।उक्त विज्ञापन के पश्चात, मुख्य मामले के अपीलकर्ता तथा दो अन्य संबंधित मामलों के अपीलकर्ता, जो आवश्यक योग्यता रखते थे, दिनांक 23.09.2008 को गृह विज्ञान के व्याख्याता पद पर चयनित किए गए। इसी बीच, प्रतिवादी संख्या 8 ने अधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अधिसूचना को निरस्त करने की प्रार्थना की, इस आधार पर कि अधिसूचना में गृह विज्ञान के अंतर्गत विशेषीकृत विषयों का पृथक विवरण निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अधिकरण द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया, तथापि भर्ती प्रक्रिया को उक्त आवेदन के परिणाम के अधीन रखा गया।

5. उक्त आवेदन को अंततः सुनवाई हेतु लिया गया और अधिकरण ने दिनांक 12.06.2009 के अपने आदेश द्वारा उसे स्वीकार करते हुए दिनांक 24.12.2007 के विज्ञापन को निरस्त कर दिया। अधिकरण ने यह अभिमत व्यक्त किया कि–(i) गृह विज्ञान कोई एक विषय नहीं है, बल्कि एक पाठ्यक्रम है, जिसमें विभिन्न विषय सम्मिलित होते हैं;(ii) पूर्व में केपीएससी द्वारा प्रत्येक विशेषज्ञता के अनुसार रिक्तियों का उल्लेख करते हुए अधिसूचनाएँ जारी की जाती रही हैं तथा उसी के आधार पर नियुक्तियाँ भी की जाती रही हैं; और(iii) यदि पदों को विषय-वार नहीं भरा जाता है और गृह विज्ञान में किसी विशेष विषय में डिग्री रखने वाले व्याख्याता को किसी अन्य विषय पढ़ाने के लिए बाध्य किया जाता है, तो छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

6. अधिकरण के उक्त निर्णय की वैधता एवं विधिकता को चुनौती देते हुए, सफलतापूर्वक नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों तथा केपीएससी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर कीं। इस अपील में चुनौती दिए गए आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त याचिकाओं को खारिज कर दिया।उच्च न्यायालय का तर्क यह था कि–(i) यद्यपि दिनांक 24.12.2007 की अधिसूचना में कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में विषयों का उल्लेख किया गया है, किन्तु गृह विज्ञान के लिए कोई विषय या विशेषज्ञता निर्दिष्ट नहीं की गई;(ii)

कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (कॉलेजिएट शिक्षा विभाग) (विशेष भर्ती) नियम, 1993 के अनुसार रिक्तियों का विषय-वार उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो कि गृह विज्ञान के लिए नहीं किया गया; तथा(iii) यदि कोई छात्र स्नातकोत्तर स्तर पर किसी विशिष्ट विषय का अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसने उस विषय का पूर्व में अध्ययन किया हो, अतः गृह विज्ञान के अंतर्गत विषयों का पृथक विवरण प्रदान करना आवश्यक है।

7. हमारे समक्ष प्रस्तुत ये अपीलें नियुक्त अभ्यर्थियों, कर्नाटक राज्य तथा कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा दायर की गई हैं। हमने अपीलकर्ताओं तथा प्रतिवादियों के सभी अधिवक्ताओं को सुना है।

8. यह प्रश्न कि क्या गृह विज्ञान विभाग में व्याख्याताओं के 18 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना, विषय-वार श्रेणियों का उल्लेख न करने के कारण अवैध है, उस भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों पर निर्भर करेगा, जो हैं– कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (कॉलेजिएट शिक्षा विभाग) (भर्ती) नियम, 1964 तथा कर्नाटक शिक्षा विभाग सेवा (कॉलेजिएट शिक्षा विभाग) (विशेष भर्ती) नियम, 1993। 1993 के नियमों के नियम 3 और 4 इस प्रकार हैं:

> "3. योग्यता एवं आयु – कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह–
>
> (a) (i) संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त न कर चुका हो;
>
> (ii) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनइटी) में सफल घोषित न हुआ हो;
>
> परंतु यह भी कि पीएच.डी./एम.फिल. धारक अभ्यर्थियों को एनइटी में सम्मिलित होने से छूट होगी।
>
> (b) ...
>
> 4. रिक्तियों की अधिसूचना – नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक विषय के अंतर्गत रिक्तियों की सूचना कर्नाटक लोक सेवा आयोग को देगा, जो इन नियमों के अनुसार चयन करेगा।"

9. दिनांक 24.12.2007 का विज्ञापन संबंधित नियमों का संदर्भ देता है और वास्तव में पात्रता मानदंड, चयन की विधि, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि सभी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत, उक्त अधिसूचना, जो ऊपर वर्णित नियम 3 के अनुरूप है, निम्नलिखित का प्रावधान करती है:

> "1. संबंधित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री धारक होना आवश्यक है।यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत होंगे।
>
> 2. यू.जी.सी. या सी.एस.आई.आर. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनइटी) अथवा राज्य सरकार या यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राधिकरण द्वारा आयोजित एस.एल.ई.टी. (एसएलईटी) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।"

10. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उक्त भर्ती, अन्य बातों के साथ, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रम में व्याख्याता के पद हेतु है। यह कि यह व्याख्याता का पद है, इससे भी स्पष्ट है कि इसका वेतनमान ₹8000-13500 है। वास्तव में, 1993 के नियमों का नियम 3 के अंतर्गत उन योग्यताओं का प्रावधान करता है, जो स्नातक कार्यक्रमों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति से संबंधित हैं।नियमों की स्थिति पर बल देने का उद्देश्य यह दर्शाना है कि नियुक्ति के पश्चात ये व्याख्याता गृह विज्ञान विभाग में स्नातक छात्रों को पढ़ाएंगे। अतः योग्यता केवल गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तक सीमित है। जब तक कोई अभ्यर्थी गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री रखता है, वह इस पद के लिए आवेदन करने के योग्य होगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि गृह विज्ञान के किस विशेष क्षेत्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की गई है।

11. इस मुद्दे पर हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दायर हलफनामे में किए गए एक कथन का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं, जो इस प्रकार है:

> "12. कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका का संबंध इस प्रश्न से है कि 'क्या गृह विज्ञान में व्याख्याता के पद को विषय-वार वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है या नहीं।'
>
> 13. इस संबंध में, यूजीसी की ओर से पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है कि गृह विज्ञान के व्याख्याता पद के लिए कोई पृथक विषय-वार प्रावधान नहीं है।"

12. सेवा न्यायशास्त्र की शुरुआत और अंत उन नियमों से होना चाहिए, जो योग्यता, भर्ती, चयन, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। इन पदों पर नियुक्तियाँ 'स्टेटस' के स्वरूप की होती हैं, जिसका अर्थ है कि सेवा एवं उसकी शर्तों में नियमों में संशोधन के माध्यम से एकतरफा परिवर्तन किया जा सकता है।अधिकरण का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह किसी पक्ष द्वारा किए गए दावों का परीक्षण उन नियमों के संदर्भ में करे, जो इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। यदि नियम किसी विषय-वार विशेषज्ञता का प्रावधान नहीं करते हैं, तो अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा उसकी उपयुक्तता अथवा उसके लाभकारी प्रभाव की जांच करने का कोई औचित्य नहीं है।

13. उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क इस प्रकार है:

> "14. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान में मूल डिग्री रखने वाले सभी व्यक्ति गृह विज्ञान में एम.एससी. में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होते। यदि कोई छात्र किसी विशेष विषय को अपनाना चाहता है, तो उसे उस विषय का अध्ययन अपनी मूल डिग्री में भी करना आवश्यक होता है। इन परिस्थितियों में, यद्यपि सरकार ने केपीएससी से गृह विज्ञान में 18 व्याख्याताओं की भर्ती करने को कहा था, फिर भी केपीएससी, जो एक विशेषज्ञ एजेंसी है, को यह ज्ञात होना चाहिए था कि आवेदन आमंत्रित करते समय केवल 'गृह विज्ञान' का उल्लेख पर्याप्त नहीं होगा।वास्तव में, जिन नियमों पर भरोसा किया गया है, वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभ्यर्थी को 'संबंधित विषय' में

कम से कम 55% अंकों या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त करनी चाहिए, और संशोधित नियम (4) यह भी स्पष्ट करता है कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक 'विषय' के अंतर्गत रिक्तियों की सूचना केपीएससी को देगा, जो इन नियमों के अनुसार चयन करेगा।गृह विज्ञान कोई एक विषय नहीं है, बल्कि एक धारा या मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से, गृह विज्ञान में आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना अस्पष्ट है। केवल विशिष्ट विषयों का उल्लेख किया जाना चाहिए था, जैसा कि कला, विज्ञान और वाणिज्य के मामलों में किया गया है। गृह विज्ञान में किसी विशिष्ट विषय के साथ एम.एससी. रखने वाला अभ्यर्थी इन रिक्तियों के संदर्भ में प्रतिकूल स्थिति में है। यदि अभ्यर्थी ने व्याख्याता (गृह विज्ञान) के पद के लिए आवेदन किया है, तो यह उसके विरुद्ध नहीं माना जा सकता। राज्य और केपीएससी को विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए।"

14. उच्च न्यायालय के निर्णय में त्रुटि को समझने के लिए विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है। यह तथ्य कि कोई स्नातक छात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लेते समय किसी विशेष विषय का चयन करता है, इसका स्नातक छात्रों को पढ़ाने वाले व्याख्याता की योग्यता से कोई संबंध नहीं है।इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय का यह अनुमान कि गृह विज्ञान कोई विषय नहीं है, बल्कि एक धारा या मूल आधार है, स्नातक कार्यक्रम के लिए व्याख्याताओं की भर्ती पर लागू नहीं होता। स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान स्वयं में एक विषय है।वास्तव में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भी गृह विज्ञान को एक विषय के रूप में मान्यता देता है, जिसका विषय कोड संख्या 12 है, जैसा कि दिसंबर 2023 में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनइटी) के लिए जारी नवीनतम सूचना बुलेटिन में दर्शाया गया है।स्नातक छात्रों को पढ़ाने के लिए निर्धारित योग्यता केवल गृह विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री है। हम पुनः स्पष्ट करते हैं कि यह महत्वहीन है कि गृह विज्ञान के किस विशेष विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की गई है।

15. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य तर्क यह था कि पूर्व में केपीएससी ने महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रोबेशनरी अधिकारियों के पद पर भर्ती करते समय योग्यता के रूप में सामाजिक कार्य या गृह विज्ञान में मास्टर डिग्री, जिसमें बाल विकास या पोषण में विशेषज्ञता हो, का उल्लेख किया था।यह तर्क भी उचित नहीं है, क्योंकि वह विज्ञापन एक कार्यकारी पद के लिए भर्ती से संबंधित था। महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति की भर्ती करते समय, नियोक्ता को अपेक्षित विशेषज्ञता का उल्लेख करने का पूर्ण अधिकार है। इसका व्याख्याता के पद हेतु भर्ती के विज्ञापन से कोई संबंध नहीं है।

16. अब तक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालयों में संचालित स्नातक कार्यक्रमों में गृह विज्ञान के व्याख्याताओं को एक ही संवर्ग के रूप में माना गया है और इन पदों के लिए भर्ती भी उसी प्रकार विज्ञापित की जाती रही है। यदि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई तर्कपद्धति को माना जाए, तो संपूर्ण अधिसूचना ही निरस्त हो जाएगी, क्योंकि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों का भी उल्लेख बिना तथाकथित विशेषज्ञताओं के किया गया है, और उसी तर्क के आधार पर उन्हें भी निरस्त करना पड़ेगा।उदाहरणार्थ, इतिहास में स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, अभिलेखविद्या, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, यूरोपीय इतिहास, दक्षिण-पूर्व एशियाई इतिहास, पश्चिम एशियाई इतिहास आदि जैसी विशेषज्ञताएँ होती हैं। इसका सरल उत्तर यह है कि स्नातक स्तर पर 'इतिहास' स्वयं में एक विषय है।

17. अंत में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान केंद्रित न करके त्रुटि की कि नियम क्या प्रावधान करते हैं और क्या विज्ञापन उन नियमों के अनुरूप है। यदि उच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के मूल सिद्धांतों तक ही अपने आप को सीमित रखा होता, तो वह इस प्रकार की त्रुटि करने से बच सकता था।

18. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 28.03.2013 को पारित निर्णय, जो रिट याचिका सं. 19495-19503/2009, रिट याचिका सं. 20289-20297/2009 एवं रिट याचिका सं.

21474/2009 (एस-केऐटी) से संबंधित है, को निरस्त करते हैं। साथ ही, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण, बेंगलुरु द्वारा आवेदन सं. 1002/2008 एवं आवेदन सं. 2794/2008 में दिनांक 12.06.2009 को पारित आदेश को भी निरस्त किया जाता है।यदि कोई लंबित आवेदन हों, तो वे भी निराकृत माने जाएंगे।

19. खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

मामले का परिणाम: **अपीलें स्वीकार की गईं;**

शीर्ष टिप्पणीयाँ अंकित ज्ञान तैयार किया गया है।

यह अनुवाद पैनल अनुवादकमधु कुमारी के द्वारा किया गया है।